

संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र.
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल

॥ विज्ञापन ॥

म०प्र० शासन खेल और युवा कल्याण विभाग के अधीन संचालित विभिन्न खेल अकादमियों में उच्च तकनीकी प्रशिक्षक सह सलाहकार के रिक्त पदों की पदपूर्ति किए जाने हेतु दिनांक 23 अक्टूबर 2026 (शुक्रवार कार्यालयीन समय सायं 6:00 बजे) तक आवेदन पत्र संचालनालय खेल और युवा कल्याण, टी०टी० नगर स्टेडियम भोपाल में आमंत्रित किए जाते हैं।

योग्यता/अनुभव व अर्हता तथा पारिश्रमिक की दर आदि की जानकारी म०प्र० खेल और युवा कल्याण विभाग की वेबसाइट www.dsywmp.gov.in पर उपलब्ध है।

संचालक
खेल और युवा कल्याण, म०प्र०

संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र.

टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल

ए,बी,सी,डी एवं ई श्रेणी के प्रशिक्षकों की खेलवार रिक्त पदों की स्थिति एवं विधा अनुसार योग्यता/अनुभव एवं अर्हता तथा पारिश्रमिक की दर

क्रं.	अकादमी का नाम	खेल का नाम	श्रेणी	प्रशिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या	पारिश्रमिक की प्रतिमाह दर (आवास, भोजन एवं स्थानीय यातायात भत्ता सहित)	विधा अनुसार योग्यता, अनुभव एवं अर्हता
1	म0प्र0 राज्य एक्वाटिक अकादमी-स्वीमिंग, उज्जैन	(01) स्वीमिंग	A	1	2,25,000/-	ओलम्पिक में प्रतिभागिता/विश्वकप (04 वर्षीय)/एशियन गेम्स में पदक विजेता अथवा पद्मश्री/राजीव गांधी खेल रत्न/अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी अथवा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक अथवा ऐसा प्रशिक्षक जिसने ओलम्पिक में सम्मिलित भारतीय टीम को प्रशिक्षण दिया हो अथवा विश्वकप (04 वर्षीय)/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता भारतीय दल/खिलाड़ी का वास्तविक प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।
			B		1,55,000/-	राष्ट्रमण्डल खेल / एफोएशियन खेल में संबंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में भारतीय दल / खिलाड़ी का वास्तविक प्रशिक्षक अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।
			C		1,15,000/-	अधिकृत एशियन चैम्पियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल की संबंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में पदक विजेता भारतीय दल / खिलाड़ी का प्रशिक्षक अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित खेल की अलग-अलग 03 वर्षों में अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप /प्रतियोगिता में पदक विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी अथवा प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।
			D	03 (01 Male 01 Male/Female 01 Female)	77,500/-	अधिकृत अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ी अथवा एन0आई0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त व भारतीय टीम को कम से कम 6 माह का प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अनुभव अथवा संबंधित खेल महासंघ का कोचिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षक।
			E		50,000/-	A, B एवं C श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक द्वारा अनुशंसित ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने राष्ट्रीय टीम अथवा ख्याति प्राप्त अकादमी अथवा संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया हो, इन प्रशिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन एवं अनुशंसा A अथवा B अथवा C श्रेणी के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की जावेगी।

क्र.	अकादमी का नाम	खेल का नाम	श्रेणी	प्रशिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या	पारिश्रमिक की प्रतिमाह दर (आवास, भोजन एवं स्थानीय यातायात भत्ता सहित)	विधा अनुसार योग्यता, अनुभव एवं अर्हता
		(2) डायविंग	A	1	2,25,000/-	ओलम्पिक में प्रतिभागिता/विश्वकप (04 वर्षीय)/एशियन गेम्स में पदक विजेता अथवा पद्मश्री/राजीव गांधी खेल रत्न/अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी अथवा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक अथवा ऐसा प्रशिक्षक जिसने ओलम्पिक में सम्मिलित भारतीय टीम को प्रशिक्षण दिया हो अथवा विश्वकप (04 वर्षीय)/एशियन गेम्स/कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता भारतीय दल/खिलाड़ी का वास्तविक प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।
			B		1,55,000/-	राष्ट्रमण्डल खेल / एफोएशियन खेल में संबंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में भारतीय दल / खिलाड़ी का वास्तविक प्रशिक्षक अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।
			C		1,15,000/-	अधिकृत एशियन चैम्पियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल की संबंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में पदक विजेता भारतीय दल / खिलाड़ी का प्रशिक्षक अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित खेल की अलग-अलग 03 वर्षों में अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप /प्रतियोगिता में पदक विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी अथवा प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।
			D	03 (01 Male 01 Male/Female 01 Female)	77,500/-	अधिकृत अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ी अथवा एन0आई0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त व भारतीय टीम को कम से कम 6 माह का प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अनुभव अथवा संबंधित खेल महासंघ का कोचिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षक।
			E		50,000/-	A, B एवं C श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक द्वारा अनुशंसित ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने राष्ट्रीय टीम अथवा ख्याति प्राप्त अकादमी अथवा संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया हो, इन प्रशिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन एवं अनुशंसा A अथवा B अथवा C श्रेणी के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की जावेगी।

क्र.	अकादमी का नाम	खेल का नाम	श्रेणी	प्रशिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या	पारिश्रमिक की प्रतिमाह दर (आवास, भोजन एवं स्थानीय यातायात भत्ता सहित)	विधा अनुसार योग्यता, अनुभव एवं अर्हता
2	म0प्र0 राज्य मलखम्ब अकादमी, उज्जैन	मलखम्ब	C	1	1,15,000/-	भारत सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित खेल की अलग-अलग 03 वर्षों में अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप /प्रतियोगिता में पदक विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी अथवा प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो अथवा इससे उच्च स्तर की उपलब्धि अर्जित की हो।
			D	02 (01 Male 01 Female)	77,500/-	अधिकृत अन्तराष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ी अथवा भारतीय टीम को कम से कम 6 माह का प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अनुभव अथवा संबंधित खेल महासंघ का कोचिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षक।
			E		50,000/-	A, B एवं C श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक द्वारा अनुशंसित ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने राष्ट्रीय टीम अथवा ख्याति प्राप्त अकादमी अथवा संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया हो, इन प्रशिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन एवं अनुशंसा A अथवा B अथवा C श्रेणी के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की जावेगी।

विभाग के अधीन संचालित खेल अकादमियों में प्रशिक्षण हेतु उच्च स्तरीय विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की सेवाएं प्राप्त करने हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त

—00—

विभाग के अधीन संचालित विभिन्न खेल अकादमियों में प्रशिक्षण हेतु तकनीकी विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की सेवाएं लेने हेतु निम्नानुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये जाते हैं :-

1. सशक्त समिति :-

विभिन्न खेल अकादमियों में तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की सेवाएं लेने हेतु अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, खेल और युवा कल्याण विभाग की अध्यक्षता में निम्नानुसार एक सशक्त समिति होगी :-

- | | |
|---|--------------|
| 1/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
खेल और युवा कल्याण विभाग | - अध्यक्ष |
| 2/ सचिव, वित्त विभाग | - सदस्य |
| 3/ सदस्य सचिव, राज्य योजना मण्डल | - सदस्य |
| 4/ क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण, भोपाल | - सदस्य |
| 5/ संचालक, खेल और युवा कल्याण | - सदस्य सचिव |

सशक्त समिति के कर्तव्य निम्नानुसार होंगे :-

- समिति द्वारा विशेषज्ञों का नामांकन निर्धारित मापदण्डों के अधीन सीधे किया जा सकेगा।
- समिति द्वारा निर्धारित सीमा एवं मापदण्डों के अधीन ही संचालनालय द्वारा समिति के अनुमोदन उपरान्त विशेषज्ञों की सेवाएं ली जा सकेंगी।

2. तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की श्रेणी, विधा अनुसार योग्यता/अनुभव एवं अर्हता तथा पारिश्रमिक की दर :-

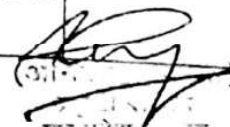
तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की श्रेणी	विधा अनुसार योग्यता, अनुभव एवं अर्हता	प्रतिमाह पारिश्रमिक
श्रेणी - ए	<u>उच्च तकनीकी विशेषज्ञ की अर्हता</u> ओलम्पिक में प्रतिभागिता/विश्वकप/एशियन गेम्स में पदक विजेता अथवा पद्मश्री/राजीव गांधी खेल रत्न/अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी अथवा द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक अथवा ऐसा प्रशिक्षक जिसने ओलम्पिक में सम्मिलित भारतीय टीम को	रु. 1,50,000/-

(आनिता देवी)

प्रमुख सचिव

खेल और युवा कल्याण विभाग

	प्रशिक्षण दिया हो अथवा विश्वकप/ एशियन गेम्स/कॉमन वेल्थ गेम्स में पदक विजेता भारतीय दल का प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो। <u>स्पोर्ट्स साईंस विशेषज्ञ की अर्हताएं -</u> संबंधित विधा में स्नातकोत्तर के बाद 07 से 10 वर्ष का किसी ख्याति प्राप्त खेल संस्था के साथ संबंधित कार्य का अनुभव एवं कम से कम 05 बार ओलम्पिक/एशियन गेम्स /कॉमनवेल्थ गेम्स/वर्ल्ड चैम्पियनशिप/ वर्ल्डकप में भागीदारी वाली राष्ट्रीय टीम अथवा उपरोक्त खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को संबंधित कार्य की सेवायें दी हो। (संबंधित विधा में स्नातकोत्तर की अर्हता यू.जी.सी. से संबंधित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्रमाणित हो)	
श्रेणी - बी	<u>उच्च तकनीकी विशेषज्ञ की अर्हता</u> - राष्ट्र मण्डल खेल/एफ्रो एशियन खेल में संबंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में भारतीय दल/खिलाड़ी का प्रशिक्षक अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो। <u>स्पोर्ट्स साईंस विशेषज्ञ की अर्हताएं -</u> - संबंधित विधा में स्नातकोत्तर के बाद 5 से 7 वर्ष का किसी ख्याति प्राप्त खेल संस्था के साथ संबंधित कार्य का अनुभव एवं कम से कम 3 बार ओलम्पिक/कॉमनवेल्थ गेम्स/ एशियन गेम्स/वर्ल्डकप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भागीदारी वाली राष्ट्रीय टीम अथवा उपरोक्त खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को संबंधित कार्य की सेवायें दी हो। (संबंधित विधा में स्नातकोत्तर की अर्हता यू.जी.सी. से संबंधित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्रमाणित हो)	रु. 1,00,000/-
श्रेणी - सी	<u>उच्च तकनीकी विशेषज्ञ की अर्हता</u> अधिकृत एशियन चैम्पियनशिप, दक्षिण एशियाई खेल की संबंधित विधा में पदक विजेता खिलाड़ी अथवा इन खेलों में पदक विजेता भारतीय दल/खिलाड़ी का प्रशिक्षक अथवा भारत सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित खेल की अलग-अलग 03 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/ प्रतियोगिता में पदक विजेता भारतीय टीम के खिलाड़ी अथवा प्रशिक्षक रहा हो अथवा अपने खेल का उक्त प्रतियोगिता में निर्णायक रहा हो।	रु. 75,000/-


 मन्त्रालय
 खेल और युवा कल्याण विभाग

स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की अर्हताएं -

- संबंधित विधा में स्नातकोत्तर के बाद 02 से 05 वर्ष का किसी ख्याति प्राप्त खेल संस्था के साथ संबंधित कार्य का अनुभव एवं कम से कम 02 बार ओलम्पिक/कॉमनवेल्थ गेम्स/एशियन गेम्स/वर्ल्डकप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भागीदारी वाली राष्ट्रीय टीम अथवा उपरोक्त खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी को संबंधित कार्य की सेवाएँ दी हो। (संबंधित विधा में स्नातकोत्तर की अर्हता यू.जी.सी. से संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से मान्यता प्रमाणित हो)

3. तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ पर होने वाले व्यय की सीमा का निर्धारण :-

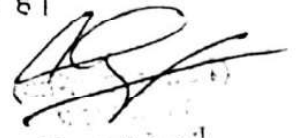
समिति द्वारा विशेषज्ञ को आमंत्रित किये जाने पर उन्हें देय पारिश्रमिक की दर का निर्धारण, यात्रा की पात्रता, होटल में ठहरने पर होने वाले व्यय की पात्रता, स्थानीय यात्रा हेतु वाहन सुविधा आदि पर होने वाले व्यय की दरों को निर्धारित किया जावेगा। समिति द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर ही संचालनालय द्वारा ऐसे व्ययों का भुगतान किया जा सकेगा।

उच्च तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ जो अकादमी में रहकर ही प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देते हैं, अथवा आने-जाने व होटल में रहने का खर्च प्राप्त नहीं करते उन्हें आवास, भोजन एवं स्थानीय यातायात की व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी या प्रत्येक माह में प्राप्त मानदेय के अतिरिक्त रु. 20,000/- आवास व्यवस्था व्यय एवं रु. 20,000/- स्थानीय यात्रा भत्ता एवं रु. 10,000/- भोजन व्यवस्था व्यय कुल रु. 50,000/- दिया जावेगा। जिसे एम.ओ.यू. में समाहित किया जावेगा परन्तु माह में न्यूनतम 20 दिवस खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना होगा।

तकनीकी विशेषज्ञों के साथ यदि ऐसे सहायक प्रशिक्षक भी प्रशिक्षण देने अकादमी आते हैं जिनके प्रशिक्षण से अकादमी के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण में लाभ मिलता है, तो इन सहायक प्रशिक्षकों के आने-जाने का वास्तविक यात्रा किराया, आवास एवं भोजन व्यवस्था भी तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार ही की जावेगी। A, B, C श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञों को भी खिलाड़ियों के मार्गदर्शन हेतु प्रतियोगिता के दौरान विदेश में भेजा जा सकेगा।

4. तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ द्वारा प्रशिक्षण हेतु न्यूनतम अवधि :-

तकनीकी विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ द्वारा माह में न्यूनतम 5 दिवस प्रशिक्षण देना होगा। यह प्रशिक्षण संबंधित खेल की मध्यप्रदेश राज्य खेल अकादमी में अथवा अकादमी के खिलाड़ियों को अन्य स्थल जहां पर प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध हो व इस प्रशिक्षण से लाभ हो, दिया जा सकता है।


खेल और युवा परमाणु विभाग

5. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या :-
एक विधा में प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थी होने पर ही तकनीकी विशेषज्ञ की सेवाएं ली जा सकेंगी।

6. नामांकन की प्रक्रिया :-
खेल अकादमियों में समस्त खेल तकनीकी विशेषज्ञों एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञों का विज्ञापन जारी किया जावेगा। प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण संचालक स्तर की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जावेगा। चयन में पारदर्शिता बनी रहे अतः कम से कम 3 विशेषज्ञों के पैनल को सशक्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जावेगा।

सशक्त समिति के अनुमोदन उपरान्त ही सेवायें प्राप्त की जा सकेंगी।

7. मासिक प्रगति प्रतिवेदन :-
अकादमी द्वारा प्रत्येक खिलाड़ियों की उपलब्धियाँ एम.आई.एस. द्वारा मॉनिटर की जाएगी।

8. सेवा समाप्ति/सेवा अवधि में वृद्धि :-
समिति द्वारा तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ की सेवा अवधि अधिकतम 4 वर्ष एवं उनकी सेवावृद्धि भी 4 वर्ष तक की अवधि के लिए बढ़ाई जावेगी। आवश्यकता नहीं होने पर सेवा समाप्त भी की जा सकेंगी।

9. विभिन्न खेल अकादमियों में प्रशिक्षण हेतु A, B, C श्रेणी के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों एवं स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के अधीनस्थ प्रशिक्षकों की श्रेणी, विधा अनुसार योग्यता/अनुभव एवं अर्हता तथा पारिश्रमिक की दर :-

तकनीकी विशेषज्ञ की श्रेणी	प्रस्तावित प्रावधान (विधा अनुसार योग्यता, अनुभव एवं अर्हता)	प्रतिमाह पारिश्रमिक
श्रेणी-D	<u>उच्च तकनीकी विशेषज्ञ के अधीनस्थ विशेषज्ञ की अर्हता</u> अधिकृत अन्तर्राष्ट्रीय चैम्पियनशीप में पदक प्राप्त खिलाड़ी अथवा एन0आई0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त व भारतीय टीम को कम-से-कम 06 माह का प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का अनुभव अथवा संबंधित खेल महासंघ का कोचिंग का प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रशिक्षक। <u>स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के अधीनस्थ विशेषज्ञ की अर्हताएं -</u> संबंधित विधा में स्नातक/सर्टीफिकेट/डिप्लोमा के साथ 01 वर्ष का खिलाड़ियों के साथ संबंधित कार्य का अनुभव अथवा 02 वर्ष का शोध अनुभव। (संबंधित विधा में स्नातक/सर्टीफिकेट/डिप्लोमा की अर्हता यूजी.सी. से संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से मान्यता प्रमाणित हो)	रु. 60,000/-


प्रमुख सचिव
मह्यप्रदेश शासन
खेल और युवा कल्याण विभाग

श्रेणी-E	<u>उच्च तकनीकी विशेषज्ञ के अधीनस्थ विशेषज्ञ की अर्हता</u> A, B & C श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ सह प्रशिक्षक द्वारा अनुशंसित ऐसे प्रशिक्षक जिन्होंने राष्ट्रीय टीम अथवा ख्याति प्राप्त अकादमी अथवा संस्थाओं को प्रशिक्षण दिया हो, इन प्रशिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन एवं अनुशंसा A, B & C श्रेणी के मुख्य तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा की जावेगी। <u>स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ के अधीनस्थ विशेषज्ञ की अर्हताएं -</u> संबंधित विधा में स्नातक/सर्टीफिकेट कोर्स के साथ 06 माह का ख्याति प्राप्त संस्था से संबंधित कार्य का अनुभव एवं A, B & C श्रेणी के तकनीकी विशेषज्ञ की अनुशंसा के आधार पर सेवाएँ लेने पर विचार किया जावेगा। (संबंधित विधा में स्नातक/सर्टीफिकेट/डिप्लोमा की अर्हता यू.जी.सी. से संबंधित महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय से मान्यता प्रमाणित हो)	रु. 40,000/-
----------	--	--------------

10. विशेषज्ञ का पर्यवसान :-

- विशेषज्ञ का पर्यवसान, उसके जारी रहने के दौरान किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष को उस आशय की लिखित में कम-से-कम एक कैलेंडर मास की सूचना देयक किया जा सकेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से यह समय कम भी किया जा सकेगा।
- प्रत्येक अकादमी व भविष्य में बनने वाली अकादमी में प्रत्येक विधा में ए अथवा बी अथवा सी श्रेणी के 01 तकनीकी विशेषज्ञ तथा 3 प्रशिक्षक (डी अथवा ई श्रेणी) के रखे जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त स्पोर्ट्स साइक्लोजिस्ट, स्पोर्ट्स न्यूट्रीशनिस्ट, स्पोर्ट्स फीजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फीजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स बॉयो मेकेनिकल एक्सपर्ट/वीडियो एनालिस्ट, एक्सरसाइज साइंस एक्सपर्ट/फिटनेस ट्रेनर हेतु प्रत्येक अकादमी के लिये 1 A/B/C तथा 1 D/E श्रेणी के स्पोर्ट्स साइंस विशेषज्ञ रखे जा सकेंगे।
- अति विशिष्ट परिस्थितियों में समिति को यह अधिकार होगा कि अल्प समय के लिए विदेशी प्रशिक्षक की सेवाएं प्रशिक्षण के लिए ली जावें। विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं लिये जाने के लिए नियम व शर्तें तय करने का अधिकार समिति को होगा।



रक्षा विभाग, नई दिल्ली

संचालनालय खेल और युवा कल्याण म.प्र.

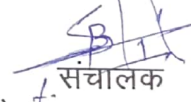
टी.टी. नगर स्टेडियम, भोपाल

भोपाल, दिनांक / 25 / 04 / 2022

॥ आदेश ॥

क्रमांक / 961 / खे.यु.क./स्था./2022 खेल अकादमियों में उच्च तकनीकी प्रशिक्षक सह-सलाहकार एवं स्पोर्ट्स साईंस विशेषज्ञ के नवीन मानदेय व भत्तों में वृद्धि हेतु दिनांक 17.03.2022 को आयोजित विभागीय सशक्त समिति बैठक के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा बिन्दु क्रं. 3 में लिए गए निर्णय अनुसार उच्च तकनीकी प्रशिक्षक सह सलाहकार एवं स्पोर्ट्स साईंस विशेषज्ञ के स्वीकृत पदों का नवीन मानदेय व भत्ते दिनांक 01 मई, 2022 (भुगतान माह जून 2022) से स्वीकृत किए जाते हैं :-

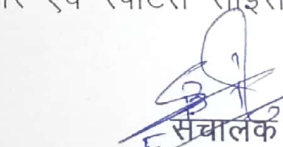
क्रं.	पद की श्रेणी	स्वीकृत पद	नवीन मानदेय	भत्ते		
				आवास व्यवस्था	स्थानीय यात्रा भत्ता	भोजन व्यवस्था
1	2	3	4	5	6	7
1	ए-श्रेणी	43	175000	20000	20000	10000
2	बी-श्रेणी		115000	15000	15000	10000
3	सी-श्रेणी		85000	10000	10000	10000
4	डी-श्रेणी	95	70000	3000	1500	3000
5	ई-श्रेणी		45000	2000	1000	2000


संचालक

खेल और युवा कल्याण, म0प्र0
भोपाल, दिनांक / 25 / 04 / 2022

पुं.क्रमांक / 962 / खे.यु.क./स्था./2022
प्रतिलिपि -

- 1/ प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, खेल और युवा कल्याण विभाग के पत्र क्रं. एफ 1-2/2014/नौ दिनांक 18.04.2022 की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2/ उपसंचालक (वित्त) की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3/ समस्त सहायक संचालक व अकादमी प्रभारियों की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4/ आहरण संवितरण अधिकारी, संचालनालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 5/ बजट/अनुदान/लेखा शाखा की ओर सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 6/ सर्व संबंधित उच्च तकनीकी प्रशिक्षक सह सलाहकार एवं स्पोर्ट्स साईंस विशेषज्ञ की ओर पालनार्थ प्रेषित।


संचालक
खेल और युवा कल्याण, म0प्र0